

22/3/14

12/07/14



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 684064

उप काशीकरा
आम्र वदरा



:: ॐ नमः शिवाय ::

किस्म दस्तावेज / विक्रय पत्र कृषि भूमि

- 3- बैनामा :- 20,00,000/-रु०
- 4- सरकारी मालियत :- 20,59,000/-रु०
- 5- सरकारी दर :- 47,00,000/-रु० प्रति हेक्टेयर
- 6- देय स्टाम्प :- 1,45,000/-रु०
- 7- लिंक मार्ग की स्थिति :- छाता शेरगढ मार्ग पर स्थित है ।
- 8- विवरण विक्रय आराजी : खाता सं०- 205 खसरा सं०- 177
रकबा कुल- 2.9060 हे० में
अपना 0.438 है भाग भूमि
- 9- विक्रित रकबा:- 0.438 हे० यानि कि अपना सम्पूर्ण अंश
- 10- स्थित -मौजा- रान्हेरा, तहसील -छाता, जिला- मथुरा

700
18/5/14

Aruna Agrawal2
Rashi Agrawal

Ranishma East



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 684065

अध्यापिका
अगरा

...2...

प्रथम पक्ष / विक्रेता:--श्रीमती अरुणा अग्रवाल पत्नी श्री माधव शरण अग्रवाल
निवासी गली गंगादयाल मण्डी रामदास शहर मथुरा तहसील व जिला- मथुरा व
श्रीमती राशि अग्रवाल पत्नी श्री भारत अग्रवाल निवासी- 102 आकृति आर्पार्टमेन्ट
चर्च रोड अगरा तहसील व जिला- अगरा ।

द्वितीय पक्ष / कर्तव्यकर्ता :-श्री खूबचन्द गीता देवी शिक्षा समिति शेरगढ छाता मथुरा
द्वारा प्रबन्धक /सचिव कृष्णकान्त तिवारी पुत्र श्री खूबचन्द तिवारी निवासी शेरगढ ,
तहसील - छाता जिला- मथुरा ।

Aruna Agrawal Radhika Agrawal...3

Koushik Kaur

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 684066

उप आवासीय
छाता (बंदरा)

...3...

जो कि हम उभय पक्षकार इस लेखपत्र हाजा की है । हम प्रथम पक्षकारों की एक कित्ता आराजी खाता सं०- 205 खसरा सं०- 177 रकबा कुल- 2.9060 हे० लगान 65.05 रु० शामिल शरीक अन्य सह खातेदारान के स्थित मौजा- रान्हेरा तहसील छाता जिला- मथुरा कि जिसमें हम प्रथम पक्षकारानों की 0.438 हे० भूमि हम प्रथम पक्षकारानों की है जिसपर प्रथम पक्ष मौके पर काविज व दखील होकर पृथि काश्त करती चली आ रही है जो कि हर प्रकार के कर्जे भार आदि से पाक साफ है । कहीं भी बन्धक नहीं हैं दिवादित नहीं है । उक्त आराजी जिसे विक्रय करने के समस्त वैधानिक हक व अधिकारात हम प्रथम पक्षकारानों को प्राप्त है । हम प्रथम पक्षकारानों को व जरूरत घर खर्च व दीगर कार्यो की आपूर्ति हेतु रूपयों की सख्त जरूरत है । केता समयानुसार उचित व माफूल कीमत देने को तैयार है विक्रय करने में ही हम प्रथम पक्षकारानों व हमारे परिवार का सरासर लाभ है ।

Aruna Agarwal

Rashmi Agarwal

Kaushal Kaur



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 684067

उत्तर प्रदेश सरकार
छाता मथुरा

....4....

अतः आज हम प्रथम पक्षकारानों ने अपनी कृषि आराजी खाता सं०- 205 खसरा सं०- 177 कुल रकबा- 2.9060 हे० में 0.438 हे० भाग भूमि की हिस्सेदार है। अपूर्ण भाग को जो कि स्थित बाकै मौजा- रान्हेरा तहसील छाता जिला- मथुरा को यह समस्त वैधानिक हक व अधिकारों सहित विल एवज वाकई मुवलिग रु० 20,00,000/—रु० (बीस लाख रुपया) में -बदस्त श्री खूबचन्द गीता देवी शिक्षा समिति शेरगढ छाता मथुरा द्वारा प्रबन्धक /सचिव कृष्णकान्त तिवारी पुत्र श्री खूबचन्द तिवारी निवासी शेरगढ, तहसील - छाता जिला- मथुरा। द्वितीय पक्षकार / कयकर्ता उपरोक्त को धै कतई कर दिया है अर्थात बेच दिया है तथा अपना कुल विक्रय धन बजरिए चैक सं०- 343805 मुवलिग- 5,00,000/— रु० दिनांक 16/4/2014 बतौर ब्याना पूर्व में व चैक सं०- 343731 मुवलिग- 7,00,000/—रु० दिनांक 22/8/2014 व चैक सं०- 343732 मुवलिग-6,00,000/—रु० दिनांक 22/8/2014 व चैक सं०- 343733

Aruna Agrawal Rashi Agrawal

Kaishram Kaur

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
15000

पन्द्रह हजार रुपये

FIFTEEN
THOUSAND RUPEES

Rs.
15000

INDIA

289590

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उप-विभागाध्यक्ष
काया (घरा)

...5....

मुकदमा-2,00,000/-—रु० दिनांक 22/10/2014 सिडिकेट बैंक शेरगढ तहसील छत्ता जिला- मथुरा वक्त बैनामा समक्ष गवाहान के प्राप्त कर लिया है और एवज कयकर्ता यानि कि द्वितीय पक्षकार को अपने समान मालकाना कब्जा व दखल विक्रय आराजी पर करा दिया है और अपना हर प्रकार का कब्जा छोड दिया है और अब द्वितीय पक्षकार को अधिकार होगा कि वह उक्त विक्रय आराजी को विक्रय करे,बन्धक करे कृषि प्रयोग में लेवे और चाहे सो करे । अब द्वितीय पक्ष के हक मे राजस्व अभिलेखो में दाखिला खारिज करा देगी यदि नही करा पाती है तो द्वितीय पक्षकार को अधिकार होगा कि वह उक्त दस्तावेज की रूह से अपने नाम तहसील अभिलेखो में दर्ज करा लेवे इसमे प्रथम पक्षकारान व उनके वारिसानों को कोई उग्र व आपत्ति किसी प्रकार की नही होगी । काश भविष्य मे हम प्रथम पक्षकारानों का कोई शहमी व शरीकी व वारिसान पैदा होकर बावत उक्त विक्रयपत्र के हक लाकर अदालत व पंचों में उग्र व आपत्ति किसी प्रकार की करता है तो उसकी हर प्रकार की उग्र व आपत्ति व मुकाबले प्रलेख हाजा के अमान्य मानी जावेगी ।

Arjun Agrwal. Kashi Agrwal

Kashim Kaur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश सरकार
खसरा विभाग

...6...

आज से पूर्व यदि कोई विक्रित आराजी के ऊपर कृषि ऋण या बकाया पाया जाता है तो उसकी देनदारी हम प्रथम पक्षकारानों की होगी। विक्रित आराजी गौव सभा सीलिंग पट्टे आदि की नहीं है तथा विक्रित रकबा में कोई नल बोर पेड आदि नहीं है। अतः यह बैनामा अपनी राजी व खुशी से प्रसन्नतापूर्वक बिना किसी भय व दबाव के पूर्ण होशो हवास में बिना किसी नशीले पदार्थ के सेवन किये व कराये उक्त प्रलेख दोनों पक्षों के निर्देशानुसार गवाहों के समक्ष पढकर व पढवाकर सुनकर व सुनाकर टाइप व ड्राफ्ट कराकर स्वीकारोक्ति के हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी कर यह विक्रयपत्र तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे। मुकियों के फोटो की पहचान गवाहान एवं पहचान के आधार पर पं० एन के गौतम एडवोकेट छाता तहसील छाता जिला-मथुरा ने की है।

विवरण विक्रित आराजी:- स्थित मौजा- ओबा बांगर तहसील- छाता, जिला- मथुरा

खाता सं०-	खसरा सं०-	रकबा कुल-	भाग/हिस्सा	विक्रित रकबा-
205	177	2.9060 है०	0.438 है०	सम्पूर्ण अंश

...7

Arune Agrawal

Kashi Agrawal

Kanishk Kaul

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
15000

FIFTEEN
THOUSAND RUPEES

पन्द्रह हजार रुपये

Rs.
15000



289592

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3. राजीव शर्मा
छाता मथुरा

...7....

गवाह-1 माधव शरण अग्रवाल पुत्र श्री जदगीश प्रसाद गर्ग निवासी गली गंगा दयाल मंजी राकड़ा
शहर मथुरा ।

Ms. Agrawal

गवाह-2 एन.के. गौतम एडवोकेट तहसील छाता जिला- मथुरा

(NK Goutam)

तहरीर दिनांक:- 22/08/2014

ड्राफ्टकर्ता:- पी लड्डू गोपाल शर्मा दस्तावेज लेखक तहसील छाता, जिला- मथुरा ।

P. Laddu Gopal Sharma
22/8/14

कम्प्यूटराईज्ड किया :- बलवीर सिंह

Balvir Singh *Kashi Agrawal*

Kashish Kaur

1730

7567

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 820710



:: ॐ नमः शिवाय ::

किस्म दस्तावेज/ विक्रय पत्र कृषि भूमि

- 3- बैनामा :- 20,00,000 /--रु०
 4- सरकारी मालियत :- 21,25,000 /--रु०
 5- सरकारी दर :- 35,00,000 /--रु० प्रति हैक्टेयर
 6- देय स्टाम्प :- 1,50,000 /--रु०
 7- लिंक मार्ग की स्थिति :- चक मार्ग पर स्थित
 8- विवरण विक्रय आराजी : खाता सं०- 92 खसरा सं०- 178 रकबा
 कुल- 1.5220 हे० में से विक्रित रकबा-0.607 हे०
 9- विक्रित रकबा:- 0.607 हे० यानि कि डेढ एकड
 10- स्थित -मौजा- रान्हेरा, तहसील -छाता, जिला- मथुरा

Aruna Agrawal

Koushik

.....2



11/5/2014



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 820711

22 MAY 2014
[Handwritten signature]

...2...

प्रथम पक्ष / विक्रेता:—श्रीमती अरुणा अग्रवाल पत्नी श्री माधव शरण अग्रवाल
 निवासी गली गंगादयाल मण्डी रामदास शहर मथुरा,
 तहसील व जिला मथुरा

द्वितीय पक्ष / कर्तव्यकर्ता :-श्री खूबचन्द गीता देवी शिक्षा समिति शेरगढ छाता
 मथुरा द्वारा प्रबन्धक / सचिव कृष्णकान्त तिवारी पुत्र श्री खूबचन्द तिवारी
 निवासी शेरगढ, तहसील छाता, जिला- मथुरा ।

जो 1/4 तम उभय पक्षकार इस लेखपत्र हाजा की है । मुझ प्रथम पक्षकार की
 एक किता आराजी खाता सं0- 92 खसरा सं0- 178 रकबा कुल- 1.5220
 हे0 लगान 34.00 रु0 शामिल शरीक अन्य सह खातेदारान के स्थित मौजा-
 रान्हेरा तहसील छाता जिला- मथुरा कि जिसमें मुझ प्रथम पक्षकार का 0.607
 हे0 की मालिक व स्वाभ- है । प्रथम पक्ष ने उपरोक्त आराजी 0.607 हे0

Aruna Agrawal

...3...

Kaishu



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 820712

22 MAY 2011

....3..

बजरिये बैनामा चन्दनसिंह व जवाहरसिंह पुत्रगण श्री केवल निवासी रान्हेरा तहसील छाता जिला मथुरा से दिनांक 27/10/2010 को बजरिये बैनामा कय की थी जिसकी रजिस्ट्री उपनिबन्ध छाता में दर्ज है। व हैसियत बैनामा के प्रथम पक्ष उपरोक्त आराजी 0.607 है० की मालिक व स्वामिनी है। तथा मीके पर काविज व दखील होकर कृषि काश्त करती चली आ रही हूँ जो कि हर प्रकार के कर्जे भार आदि से पाक साफ है। कहीं भी बन्धक नहीं है विवादित नहीं है। उक्त आराजी जिसे विक्रय करने के समस्त वैधानिक हक व अधिकारात मुझ प्रथम पक्ष को प्राप्त है। मुझ प्रथम पक्ष को व जरूरत घर खर्च व दीगर कार्यो की आपूर्ति हेतु रूपयों की सख्त जरूरत है। क्रेता समयानुसार उचित व माफूल कीमत देने को तैयार है विक्रय करने में ही मुझ प्रथम पक्ष व मेरे परिवार का सरासर लाभ है। अतः आज मुझ प्रथम पक्ष ने अपनी कृषि आराजी खाता सं०- 92 खसरा सं०- 178 कुल रकबा- 1.5220 है० में 0.607 है० भाग की हिस्सेदार हूँ यानि कि सम्पूर्ण भाग को जो कि स्थित बाकै मौजा- रान्हेरा व अधिकारों सहित विल एवज बाकई मुवलिंग रू० 20,00,000./-रू० (बीस लाख रुपये मात्र) में -बदस्त :-श्री खूबचन्द गीता देवी शिक्षा समिति शेरगढ छाता मथुरा द्वारा प्रबन्धक /सचिव कृष्णकान्त तिवारी पुत्र श्री खूबचन्द तिवारी निवासी शेरगढ तहसील

Aruna Agrawal

....4

Kaishm



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 820713

...4....

छाता, जिला- मथुरा । द्वितीय पक्षकार / क्रयकर्ता उपरोक्त को बै कतई कर दिया है अर्थात बेच दिया है । समस्त विक्रय धन बजरिये बैंक सं0- 343301 मुबलिंग धनराशि 6,75,000/- रु0 दिनोंक 30/05/2014 सिडिकेट बैंक शेरगढ तहसील छाता जिला- मथुरा व बैंक सं0- 343302 मुबलिंग धनराशि 13,25,000/--- रु0 दिनोंक 30/05/2014 सिडिकेट बैंक शेरगढ तहसील छाता जिला- मथुरा इस प्रकार कुल विक्रय धन 20 लाख रूपया अपना बजरिये बैंक समक्ष गवाहन के प्राप्त कर लिया है और एवज क्रयकर्ता यानि कि द्वितीय पक्षकार को अपने समान मालकाना कब्जा व दखल विक्रय आराजी पर करा दिया है और अपना हर प्रकार का कब्जा छोड दिया है अब द्वितीय पक्षकार को अधिकार होगा कि वह उक्त विक्रय आराजी को विक्रय करे, बन्दक करे, कृषि प्रयोग में लेवे और चाहे सो करे । अब द्वितीय पक्ष अपने हक मे यानि कि राजस्व अभिलेखों में दाखिला खारिज करा लेवे इसमे प्रथम पक्षकार व उसके वारिसानों को कोई उज्र व आपत्ति किसी प्रकार की नही होगी । काश भविष्य मे मुझ प्रथम पक्ष का कोई शहमी व शरीकी व वारिसान पैदा होकर बावत उक्त विक्रयपत्र के हक लाकर अदालत व पंचों में उज्र व आपत्ति किसी प्रकार की करता है तो उसका हर प्रकार की उज्र व

....5

Arava Agwal.

Arava



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

₹.
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 820714

23 MAY 2014

....5...

आपत्ति व मुकाबले प्रलेख हाजा के अमान्य मानी जावेगी । आज से पूर्व यदि कोई विक्रित आराजी के ऊपर कृषि ऋण या बकाया पाया जाता है तो उसकी देनदारी मुझ प्रथम पक्ष की होगी क्रेता विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है विक्रित आराजी गाँव सभा सीलिंग पट्टे आदि की नहीं है तथा विक्रित रकवा में कोई नल, बोर, पेड, आदि नहीं है । अतः यह बैनामा अपनी राजी खुशी से प्रसन्नतापूर्वक बिना किसी भय व दबाव के पूर्ण होशो हवास में बिना किसी नशीले पदार्थ का सेवन किये व कराये उक्त प्रलेख दोनों पक्षों के निर्देशानुसार गवाहों के समक्ष पढकर व पढवाकर सुनकर व सुनाकर व टाइप व ड्राफ्ट कराकर स्वीकारोक्ति के हस्ताक्षर /अंगूठा निशानी कर यह विक्रयपत्र तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवै मुकियो के फोटो की पहचान गवाहान एवं पहचान के आधार पर एन.के गौतम छाता तहसील छाता जिला-मथुरा ने की है ।

विवरण विक्रित आराजी:-स्थित मौजा- रान्हेरा तहसील- छाता, जिला- मथुरा

खाता सं०-	खसरा सं०-	रकवा कुल-	भाग/हिस्सा	विक्रित रकवा-
92	178	1.5220 है०	0.607 है०	0.607 है० सम्पूर्ण

Aruna Agrawal.

....6

Aruna Agrawal

भारतीयोंर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



₹. 25000
पचास हजार रुपये

RS. 25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0 820715

4730

.....6.....

मार्ग-1 श्री एच.के. शैलम पुत्र श्री निर्जन प्रसाद शैलम
निवासी सराववाही कल्या कला, तासोही- अरा, जिला- मयुरा ।

M/s. Sandhu

मार्ग-2 श्री भावज शरण अजयल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गर्ग
निवासी- मयुरा, तासोही व जिला मयुरा ।

M/s. Gaurav

तारीख दिनांक:- 30/05/2014 ।

इस प्रकार:- श्री लखन चौपाल नाम के संबंध में लेखक जगदीश कला,
जिला- मयुरा ।

तारीखका:- तारीख फिर ।

Pravee Agrawal

Pravee Agrawal

